OBSERVATION OF WORLD MENTAL HEALTH DAY BY JHALSA

On 10th October, 2010 on the occasion of World Mental Health Day, a Seminar on 'Mental Health & Long Term Illness: the need for continued and integrated care' was organized by Jharkhand State Legal Services Authority in association with Central Institute of Psychiatry, Ranchi at CIP, Kanke, Ranchi.

On the occasion, **Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir**, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA expressed his views that continued efforts needs to be taken to remove the misconception prevalent in the society about the mental & psychic patients. The society should be sensitive about them. He also stressed the need of rehabilitation of the mental patients and requirement of skilled professionals in the

4 सन्मार्ग

रांची, सोमवार, 11 अक्टूबर 2010

मनोरोगियों के प्रति संवेदनशील बने समाज : न्यायमूर्ति कबीर

रांची : मनोरोगियों के प्रति समाज को संवेदनशील बनना होगा। इसके प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। इस रोग से पीड़ित दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में परिवार की भूमिका और बढ़ जाती है। उक्त बातें सुप्रिम कोर्ट के न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने कहीं। वे रविवार को सीआईपी में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेंटल हेल्थ एंड लोंग टर्म इलनेस: दी नीड फोर द कन्टीन्यूड एंड इनटिग्रेटेड केयर विषय पर झारखंड विधिक सेवा आयोग एवं सीआईपी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में मनोरोगियों की तुलना में उनके इलाज में दक्ष लोगों की भारी कमी है। इससे इलाज में परेशानी आती है। मनोरोगियों के लिए भी बहुत सारे कानून हैं, जिससे इनके अधिकारों की रक्षा होती है।

इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भगवती प्रसाद ने कहा कि मनोरोगियों की संख्या पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इनको असल में उचित देखभाल की जरूरत होती है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम वाई इकबाल ने कहा कि मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है। इसके प्रति समाज एवं परिवारवालों के नजरिये में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक हो चुके मरीजों को परिजन अपने घर नहीं ले जाते हैं। इसे कानूनी दायरे में लाया जाना चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय ने कहा कि मनोरोग के प्रति समाज की धारणा को बदलने की आवश्यकता है। मनोरोग को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत है। इसमें आम लोगों को भी आगे आना चाहिए।

इसी क्रम में सीआईपी के नवनिर्मित गार्डेन चमन का उद्घाटन भी न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ ए समता के स्वागत गीत से हुआ। स्वागत संस्थान के निदेशक डॉ एस हक निजामी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के राज्य शाखा के अध्यक्ष डॉ मिलिंद बोडे ने किया।

field. He also said that NALSA has taken the initiative for their rehabilitation and everybody should cooperate in this matter.

Hon'ble Mr. Justice Bhagwati Prasad, Chief Justice, Jharkhand High Court also said that taking care of the mental patients is the need and everyone should cooperate for it.

At this occasion, **Hon'ble Mr. Justice M.Y. Eqbal,** Chief Justice, Madras High Court also expressed his views and said that the families of the mental patients do not accept them when they recover from their illness. He suggested that such people should be taken under the law and if required they should be punished.

प्रभात खबर
रांची, सोमवार, 11 अक्तूबर, 2010

समाज संवेदनशील बने : जस्टिस कबीर

सीआइपी में मेंटल हेल्थ डे का आयोजन

रांची : सीआइपी में 10 अक्तूबर को मेंटल हेल्थ डे का आयोजन किया गया. झालसा तथा सीआइपी के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यशाला का भी आयोजन हुआ. इसका विषय था : मेंटल हेल्थ एंड लीगल अवेयरनेस : द निड कंटिन्यूड एं इंटीग्रेटेड केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अल्तमस कबीर ने कहा कि मनोरोग विषय पर आत्ममंथन की जरूरत है. मनोरोगियों की तुलना में आज इसमें काम करनेवाले प्रोफेशनल्स की कमी है. मनोरोगियों के प्रति आज भी समाज संवेदनशील नहीं है. मनोरोगियों के पुनर्वास की दिशा में विशेष प्रयास की जरूरत है. अतिथियों का स्वागत संस्थान के निदेशक डॉ एस हक निजामी

Hon'ble Mr. Justice S.J. Mukhopadhaya, Chief Justice, Gujrat High Court also said at this occasion that little knowledge about the mental patients amongst the people is one of the reasons that society does not accept them and it is the responsibility of the Psychiatrists and medical professionals to acquaint the General Public with mental illness and related issues.

Pictorial View on World Mental Health Day by JHALSA at CIP, Kanke, Ranchi

हिन्दुस्तान रांची, सोमवार, 11 अक्तूबर, 2010

मानसिक रोगियों के पुनर्वास का प्रयास हो

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सीआइपी में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते जस्टिस अल्तमस कबीर और अन्य।

विश्व मनोरोग दिवस पर कार्यशाला

- मनोरोग पर मंथन की है जरूरत : न्यायाधीश कबीर
- मनोचिकित्सक तकनीकी रूप से समृद्ध हों : न्यायाधीश प्रसाद
- परिजनों को भी कानून के दायरे में लाया जाए : न्यायाधीश इकबाल

संवाददाता
रांची

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने कहा है कि मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। मनोरोग पर मंथन की जरूरत है। मनोरोगियों की तुलना में डॉक्टर और नर्स की कमी है। मनोरोग को लेकर मौजूद भ्रांतियां कम नहीं हो रही हैं। आज मानसिक रोगी की समझ रखनेवाले संवेदनशील लोगों की जरूरत है। न्यायाधीश कबीर ने उक्त बातें मनोरोग दिवस पर सीआइपी कांके में आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि कहीं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भगवती प्रसाद ने कहा कि मानसिक रोगियों की क्षमता पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। न्यूटन को उनकी खोज के पहले लोग मनोरोगी ही मानते थे। मनोचिकित्सकों को तकनीकी रूप से समृद्ध करना होगा।

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमवाइ इकबाल ने कहा कि मनोरोगियों के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है। मनोरोगियों के इलाज के बाद परिवारवाले उन्हें स्वीकार नहीं करते। इसके लिए परिजनों को भी कानून के दायरे में लाए जाने की जरूरत है। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय ने कहा कि मनोरोगियों के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इस अवसर पर सीआइपी कैंपस में मनोरोगियों के लिए विशेष रूप से निर्मित चमन पार्क का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही रोगियों के बीच फल व मिठाई का वितरण किया गया। इससे पहले अतिथियों का स्वागत एस हक निजामी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन एम बोरो ने किया।

.com रांची, सोमवार, 11 अक्टूबर 2010

बेरोजगारी बढ़ा रहा है लोगों में मनोरोग

समाज में मनोरोगों के बढ़ते प्रसार ने न्यायाधीशों को भी चिंता में डाल दिया है

भास्कर न्यूज | रांची

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सीआईपी में आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) की कार्यशाला में न्यायाधीशों ने मानसिक रोगियों के प्रति संवेदनशीलता की अपील करते हुए उनके कानूनी संरक्षण पर जोर दिया। खासकर बूढ़ों की संपत्ति हथियाने और उनसे किनारा करने के लिए मानसिक अस्पतालों के हवाले करने जैसी प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की गई। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में गार्जियनशिप मुहैया करा कर संपत्ति की देखभाल करने का प्रावधान है।

सीआईपी में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भगवती प्रसाद, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमवाई इकबाल, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एसजे मुखोपाध्याय, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुशील हरकौली, सीआईपी के निदेशक डॉ एस हक निजामी उपस्थित थे। डब्ल्यूएचओ ने इस वर्ष का थीम दिया है : मेंटल हेल्थ एंड लांग टर्म इलनेस, द नीड फॉर कंटिन्यूड एंड इंटीग्रेटेड।

सड़कों पर भटक रही है ...

मेंटल हेल्थ डे

मनोरोगियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए

समाज मनोरोगियों के प्रति संवेदनशील बनें। साथ ही मनोरोग से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए लोगों को अपनी समझ जगाने की जरूरत है। बेरोजगारी समेत अन्यान्य कारणों से लोगों में अवसादों से मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। इससे निबटने की जरूरत है।

जस्टिस अल्तमस कबीर, सुप्रीम कोर्ट

कानून के मुताबिक दंडित करें

मानसिक अस्पतालों में इलाजरत स्वस्थ लोगों को नहीं अपनानेवाले अभिभावकों को कानून के मुताबिक दंडित करने की जरूरत है। साथ ही मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए समुचित उपाय करने की जरूरत है।

जस्टिस एमवाई इकबाल, चीफ जस्टिस, मद्रास हाईकोर्ट

Hon'ble Judges interacting with CIP patients

Hon'ble Mr. Justice Bhagwati Prasad, Chief Justice, Jharkhand High Court Expressing his view on the occasion

Hon'ble Mr. Justice S. J. Mukhopadhaya, Chief Justice, Gujrat High Court addressing the gathering

दैनिक जागरण रांची, 11 अक्टूबर, 2010

मानसिक रोग से जुड़ी भ्रांतियां दूर करें : कबीर

- रोगियों की देखभाल की जरूरत : भगवती प्रसाद
- स्वस्थ हो गए रोगियों को नहीं अपनाने वाले परिजनों को दंडित करने की जरूरत : इकबाल
- पुनर्वास में वैधानिक सहायता प्रदान कराएगी न्यायपालिका : मुखोपाध्याय
- विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सीआईपी में कार्यक्रम

कांके, संवाद सूत्र : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने कहा कि मानसिक रोग से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। कबीर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर रविवार को कांके स्थित सीआईपी में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें परिवार व समाज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके बिना भ्रांतियों को दूर नहीं किया जा सकता है। मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए झालसा प्रयास कर रही है। हमें उसके प्रयासों को पूर्ण सहयोग देना होगा।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भगवती प्रसाद ने कहा कि मानसिक रोग से ग्रसित लोगों की देखभाल की जरूरत है। इसके लिए सभी को मिलजुलकर कार्य करने की जरूरत है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमवाई इकबाल ने कहा कि स्वस्थ हो गए मानसिक रोगियों को नहीं अपनाने वाले लोगों को कानून के अनुसार दंडित करने की जरूरत है। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय ने कहा कि न्यायपालिका पुनर्वास में वैधानिक सहायता प्रदान कर सकती है। न्यायाधीशों ने विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों के बीच फल एवं मिठाइयों का वितरण किया और उनका हालचाल पूछा। मौके पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुशील हरकौली भी उपस्थित थे। डा. एस हक निजामी ने स्वागत एवं डा. मिलिंद गौड़े ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस मौके पर रांची जिला विधिक प्राधिकार के सचिव एसएम हुसैन, सीजेएम आदि उपस्थित थे।

समाज में बदलाव की जरूरत : जस्टिस मुखोपाध्याय

गुजरात के चीफ जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय ने कहा कि मनोरोगियों के प्रति जो समाज का नजरिया है, उसमें बदलाव की जरूरत है. इस रोग के बारे में लोगों के कम ज्ञान के कारण भी समाज इसे अपना नहीं रहा. इसके लिए व्यापक [illegible]ार-प्रचार की जरूर[illegible] मनोचिकित्सकों के साथ- [illegible] लोगों की भी यह जिम्मे[illegible]

मनोरोगियों की देखभाल की जरूरत : जस्टिस भगवती प्रसाद

झारखंड के चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद ने कहा कि मानसिक रोगियों की क्षमता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता. न्यूटन की खोज से पहले उनको लोग मनोरोगी ही मानते थे. मनोरोगियों [illegible] असल में देखभाल की जरूरत [illegible]कित्सकों को तकनीकी [illegible] की जरूरत है.

परिजन को न ले जानेवालों को कानूनी दायरे में लायें : जस्टिस एमवाइ इकबाल

मद्रास चीफ जस्टिस एमवाइ इकबाल ने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए व्यापक काम होना चाहिए. मानसिक रूप से बीमार लोगों के ठीक हो जाने के बावजूद उनके परिवार के सदस्य उन्हें स्वीकार नहीं करते. इसके लिए परिजनों को भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए. जरूरत पड़े, तो वैसे लोगों को सजा भी दी जानी चाहिए.

Hon'ble Mr. Justice M. Y. Eqbal, Chief Justice, Madras High Court Expressing his view on the occasion

Hon'ble Judges of Jharkhand High Court attending the programme